संख्या-15/2017/सीएम-02/78-1-2017-27आई0टी0/2017

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उ0प्र0 शासना।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इले. अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: 21 जुलाई, 2017

विषय:- प्रदेश के समस्त विभागों में ऑन-लाइन मनी-ट्रासंफर व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप भली भांति अवगत है कि मा0 प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश में कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा दिये जाने हेतु ऑन-लाइन मनी-ट्रांसफर को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार में विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाएं संचालित होती है, जिसमें धनराशि लाभार्थी को सीधे उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। अधिकांश विभागों में ऑन-लाइन ट्रांसफर/आरटीजीएस के माध्यम से धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे हस्तांतरित की जा रही है लेकिन कतिपय विभागों द्वारा अभी भी नकद/चेक के माध्यम से धनराशि का वितरण किया जाता है। जहां आन-लाइन मनी-ट्रासंफर/आरटीजीएस की व्यवस्था नहीं है, वहां धनराशि के वितरण में प्राय: शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

2- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि सभी लाभार्थीपरक योजनाओं में एवं सभी प्रकार के भुगतान ऑन-लाइन ट्रासंफर/आरटीजीएस के माध्यम से ही किये जाये तथा उक्त व्यवस्था को आधारकार्ड से भी जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये, जिससे कि भुगतानों में पारदर्शिता परिलक्षित हो तथा इस संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों को समाप्त किया जा सकें।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्राणाधीन विभाग में उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या आई0टी0 एवं इले0 विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव

....2...

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-15/2017/सीएम-02(1)/78-1-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रबंध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स/श्रीट्रान इंडिया लि0।
7- राज्य समन्वयक, सीईजी/ई-सुविधा गोमती नगर लखनऊ।
8- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(राज बहादुर)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।